न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 05/2022 **दायर दिनांकः 06/08/2020**

उनवान

1. रामरतन आयु 56 वर्ष पुत्र रामचन्द्र जाति धाकड निवासी अर्डान्द तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी/अप्रार्थी

बनाम

1. मोहनलाल आयु 71 वर्ष पुत्र जानकीलाल जाति धाकड निवासी अर्डान्द तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. मृतक सोहनलाल आयु 66 वर्ष पुत्र जानकीलाल जाति धाकड निवासी अर्डान्द तहसील अटरू जिला बारां राज0।

2/1 अयोध्याबाई आयु 58 वर्ष पत्नि सोहनलाल जाति धाकड निवासी अर्डान्द तहसील अटरू जिला बारां राज0।

2/2 राकेश आयु 32 वर्ष पुत्र सोहनलाल जाति धाकड निवासी अर्डान्द तहसील अटरू जिला बारां राज0।

2/3 सुमित्रा आयु 36 वर्ष पुत्री सोहनलाल जाति धाकड निवासी अर्डान्द तहसील अटरू जिला बारां राज0।

2/4 अनुसुईया आयु 34 वर्ष पुत्री सोहनलाल जाति धाकड निवासी अर्डान्द तहसील अटरू जिला बारां राज0।

3. रतनलाल आयु 64 वर्ष पुत्र जानकीलाल जाति धाकड निवासी अर्डान्द तहसील अटरू जिला बारां राज0।
4. मृतक स्व0 गोविन्दलाल पुत्र जानकीलाल जाति धाकड निवासी अर्डान्द तहसील अटरू जिला बारां राज0।

4/1 पीयुष आयु 8 वर्ष पुत्र स्व0 गोविन्दलाल नाबालिग जर्ये वली माता मनभरबाई जाति धाकड निवासी अर्डान्द तहसील अटरू जिला बारां राज0।

4/2 विष्णु आयु 13 वर्ष पुत्र स्व0 गोविन्दलाल नाबालिग जर्ये वली माता मनभरबाई जाति धाकड निवासी अर्डान्द तहसील अटरू जिला बारां राज0।

4/3 मनभरबाई आयु 45 वर्ष पत्नि स्व0 गोविन्दलाल नाबालिग जर्ये वली माता मनभरबाई जाति धाकड निवासी अर्डान्द तहसील अटरू जिला बारां राज0।

5. कंचन आयु 54 वर्ष पुत्री जानकीलाल जाति धाकड निवासी अर्डान्द तहसील अटरू जिला बारां राज0।

6. कमला आयु 59 वर्ष पुत्री जानकीलाल स्व0 गोविन्दलाल नाबालिग जर्ये वली माता मनभरबाई जाति धाकड निवासी अर्डान्द तहसील अटरू जिला बारां राज0।
7. कस्तुरी आयु 61 वर्ष पुत्री जानकीलाल जाति धाकड निवासी अर्डान्द तहसील अटरू जिला बारां राज0।
8. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सहपठित धारा 151 सी0पी0सी0

उपस्थिति :–

वादी/अप्रार्थी :–विद्वान अभिभाषक श्री यशद्युमन सिंह

प्रतिवादीगण/प्रार्थीगणः–विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन

आदेश दिनाकः 28/12/2022

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 144, 151 सी0पी0सी0 का इस आशय का पेश किया है कि उपरोक्त उनवान का दावा संख्या 95/2017 माननीय न्यायालय में जैरकार है जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 10.09.2020 नियत है। उपरोक्त उनवान की पत्रावली में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 30.03.2016 को निर्णय पारित करते हुये वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर वाद डिक्री किया गया था। उक्त निर्णय वादी तथा उसके अधिवक्ता की उपस्थिति में पारित किया गया था। वक्त निर्णय न तो प्रतिवादीगण उपस्थित थे और न ही उनके अधिवक्ता उपस्थित थे। निर्णय दिनांक 30.03.2016 की पालना में राजस्व लोक अदालत कोर्ट केम्प अर्डान्द में तहसीलदार साहब अटरू द्वारा पत्र क्रमांक भू.अ./2016/638 दिनांक 10.06.2016 विभाजन प्रस्ताव एक तरफा तैयार करके पेश किया गया जो वादी की उपस्थिति में तथा वादी की सहमति से तैयार किया गया। इस विभाजन प्रस्ताव को अवैधानिक एवं गैर कानूनी होने के बावजूद तथा बंटवारा प्रस्ताव के नियमों के विपरीत होने के बाद भी न्यायालय द्वारा इसको स्वीकार भी दिनांक 10.06.2016 को कर लिया गया अर्थात एक दिन में बंटवारा प्रस्ताव पेश होना, नक्शा अलग अलग होना और उसको स्वीकार करके उसी दिन अन्तिम डिक्री की पालना में वादी तथा प्रतिवादीगण का खाता भी अलग अलग कर दिया है। अलग अलग जमाबन्दिया बन चुकी है और वादी का हिस्सा अलग हो चुका है। इस वजह से वादी उसके विभाजन में आई आराजी को खुर्द

बुर्द करने पर आमादा है। प्रतिवादीगण को माननीय न्यायालय के निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.03.2016 की जानकारी होने पर प्रतिवादीगण द्वारा माननीय न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री के खिलाफ अपील राजस्व अपील प्राधिकारी एवं भू–प्रबंधक अधिकारी कोटा के न्यायालय में पेश की गई जो दिनांक 13.07.2016 को पेश की गई थी जिसमें दिनांक 02.05.2017 को निर्णय पारित करते हुये अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.03.2016 को अपास्त किया जा चुका है तथा प्रतिवादीगण/अपीलाण्ट को जवाब दावा पेश करने का अवसर प्रदान करते हुये दोनों पक्षों की साक्ष्य ली जाकर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करने के आदेश प्रदान किये गये है। निर्णय दिनांक 02.05.2017 न्यायालय भू प्रबंधक अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के द्वारा उक्त उनवान की पत्रावली में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.03.2016 निरस्त, खण्डित हो चुका है। इस वजह से निर्णय दिनांक 30.03.2016 की पालना में जो भी कार्यवाहियां बंटवारा प्रस्ताव पेश किया, सम्पूर्ण वाद पत्र में दर्ज आराजी के नक्शे अलग–अलग किये, बंटवारा प्रस्ताव स्वीकार करके अन्तिम डिक्री पारित की और अन्तिम डिक्री की पालना में खाते भी अलग–अलग किये, यह सब कार्यवाहियां निर्णय दिनांक 30.03.2016 से लगाकर खाते अलग किये वह सब निर्णय दिनांक 02.05.2017 की पालना में प्रभावहीन हो चुकी है, शून्य हो चुकी है। इस वजह से निर्णय दिनांक 30.03.2016 की पालना में जितनी भी कार्यवाहीयां हुई वह सब कार्यवाहियां निरस्त फरमाई जावे, खारिज की जावे तथा खाता विभाजन भी रद्द किया जाकर पुनः दिनांक 30.03.2016 के पूर्व की स्थिति में राजस्व रिकार्ड तैयार करने के निर्देश तहसीलदार साहब अटरू को पारित किये जावे तथा वादी को पाबन्द फरमावे की वह उसके खाते में आई आराजी को खुर्द बुर्द नहीं करें, मौके की स्थिति यथावत बनाये रखें। अतः माननीय न्यायालय में प्रतिवादीगण प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पेश कर निवेदन करते है कि प्रतिवादीगण को प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर माननीय न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.03.2016 की पालना में जितनी भी कार्यवाही तहसीलदार साहब अटरू द्वारा अमल में ली गई है उन्हे निरस्त, खारिज Droop किये जाने के आदेश प्रदान करें तथा साथ में यह भी आदेश दिये जावे कि वादी आराजी को खुर्द बुर्द नहीं करें, मौके की स्थिति यथावत बनाये रखें।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी/वादी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी/वादी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया गया कि प्रार्थना पत्र की मद नं0

1 का विवरण स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 2 का विवरण स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 3 में वादी अप्रार्थी को जानकारी नहीं होना अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 4 में उप जिला कलेक्टर, अटरू के आदेश की पालना करना स्वीकार है, शेष अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र में चाही गई प्रार्थना का विवरण अस्वीकार है।

विशेष आपत्तियां

वाद जो माननीय न्यायालय में जेरकार है जिसमें ग्राम अर्डान्द में वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त खाते की आराजी का वर्णन किया गया है। मुताबिक जमाबन्दी माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 30.3.2016 को निर्णय पारित कर 1/2 में विभाजन की डिक्री पारित कर दी है जिसकी भी राजस्व अभियान केम्प अर्डान्द पर बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार साहब अटरू द्वारा दिया जाकर उसी समय वादी व प्रतिवादीगण के खाते अलग कर आराजी 1/2 में जिसकी अलग अलग जमाबन्दीयां वादी व प्रतिवादीगण के मध्य जारी कर दी गई और प्रतिवादीगण प्रार्थीगण इस बात को सो करते है कि राजस्व अभियान का ज्ञान हम प्रतिवादीगण को नहीं होने पर या हमारी अनुपस्थिति में निर्णय पारित कर बंटवारा किया गया है जिसका ज्ञान हमें नहीं है। यह कथन प्रतिवादीगण प्रार्थीगण का कतई गलत है इस बिन्दू पर प्रतिवादीगण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिवादीगण प्रार्थीगण ने दिनांक 30.03.2016 के फैसले की अपील राजस्व प्रार्थीगण ने दिनांक 30.03.2016 को पेश की थी तो उसी समय प्रतिवादीगण अपील में अपीलान्ट को उप जिला कलक्टर अटरू के फैसले के विरूद्ध स्थगन आदेश इस आशय का प्राप्त करना चाहिये था कि वादी दिनांक 30.03.2016 के निर्णय की पालना में वादी अपने पक्ष में किसी भी प्रकार का उप जिला कलक्टर अटरू से आदेश पारित नहीं करवावे। इस स्थिति में भी प्रतिवादीगण प्रर्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होकर खारिज होने योग्य है। राजस्व अपील प्राधिकारी एवं पदेन अधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.05.2017 का वादी अप्रार्थी को कोई ज्ञान नहीं है। तथा प्रतिवादीगण द्वारा जो आर0ए0ए0 कोटा में अपील पेश की गई थी उसकी भी वादी रेस्पोडेन्ट को किसी भी प्रकार की कोई तामील नहीं की गई है तथा आर0ए0ए0 के निर्णय 2.5.2017 के पूर्व ही राजस्व अभियान द्वारा वादी अप्रार्थी खातेदार बन चुका है इसलिये प्रतिवादीगण प्रार्थीगण को खातेदार के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का कोई अधिकारी नहीं है। वादी खातेदार बन चुका है वह आराजी को किसी भी प्रकार से उपयोग, उपभोग, रहन, बेचान व खुर्द

बुर्द कर सकता है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादीगण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खारिज फरमाते हुये वादी अप्रार्थी को उसके जवाब का विशेष हर्जा दिलवाये जाने की कृपा करें।

3. अभिभाषक प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण एवं अभिभाषक अप्रार्थी/वादी की बहस सुनी। अभिभाषकगण की बहस के प्रकाश में उपलब्ध रिकार्ड एवं पत्रावली का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

4. इस न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.03.2016, इसकी पालना में पेश विभाजन प्रस्ताव 10.06.2016 एवं फाइनल डिक्री दिनांक 10.06.2016 का अवलोकन किया गया। ग्राम अर्डान्द के वर्तमान राजस्व रिकार्ड का भी अवलोकन किया गया। ग्राम अर्डान्द की उक्त विवादित आराजी का इस न्यायालय की फाईनल डिक्री दिनांक 10.06.2016 की पालना में प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण व अप्रार्थी/वादी के मध्य खाता विभाजन होकर पृथक पृथक राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुकी है। प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा इस न्यायालय की निर्णय व डिक्री दिनांक 30.03.2016 की अपील की गई जिसे माननीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 02.05.2017 से आंशिकतः स्वीकार कर इस न्यायालय के आदेश व डिक्री दिनांक 30.03.2016 को अपास्त कर दिया गया।

5. धारा 144 सीपीसी के प्रावधान उस स्थिति में लागू होते है जब किसी आदेश को अपील या रिवीजन या इस उद्धेश्य के लिए गठित किसी भी तरह की सुनवाई में वापिस ले लिया गया है या उसे बदल दिया गया है। बहाली का सिद्धान्त यह है कि किसी आदेश को बदलने की स्थिति में कानून के तहत उस मामले के पक्षकारान जिनको उस फैसले से लाभ हुआ – का यह दायित्व बनता है कि वह दूसरे पक्ष को जो घाटा हुआ है उसकी भरपाई करें। फैसले को संशोधित करने या बदलने के कारण यह दायित्व खुद ही बनता है और बहाली करते हुए, अगर ऐसा हो सकता है तो अदालत पक्षकारों को उसी स्थिति में ले जाती है जब अदालत ने उनको अपनी कार्यवाही से विस्थापित किया था। इस संबंध में धारा 144 सी.पी.सी. के प्रावधानों का अवलोकन किया जाना आवश्यक है जो निम्नानुसार है– **Section 144. Application for restitution**.-(1) Where and in so far as a decree [or an order] is 2[varied or reversed in any appeal, revision

or other proceeding or is set aside or modified in any suit instituted for the purpose , the Court which passed the decree or order] shall, on the application of any party entitled to any benefit by way of restitution or otherwise, cause such restitution to be made as will, so far as may be, place the parties in the position which they would have occupied but for such decree [or order] or [such part thereof as has been varied, reversed, set aside or modified]; and, for this purpose, the Court may make any orders, including orders for the refund of costs and for the payment of interest, damages, compensation and mesne profits, which are properly S[consequential on such variation, reversal, setting aside or modification of the decree or order.]

"[Explanation]- For the purposes of sub-section (1), the expression "Court which passed the decree or order" shall be deemed to include,

(a) where the decree or order has been varied or reversed in exercise of appellate or revisional jurisdiction, the Court of first instance;

(b) where the decree or order has been set aside by a separate suit, the Court of first instance which passed such decree or order;

(c) where the Court of first instance has ceased to exist or has ceased to have jurisdiction to execute it, the Court which, if the suit wherein the decree or order was passed were instituted at the time of making the application for restitution under this section, would have jurisdiction to try such suit.]

(2) No suit shall be instituted for the purpose of obtaining any restitution or other relief which could be obtained by application under sub-section (1).

6. इस न्यायालय में दर्ज प्रकरण संख्या 63/2011 रामरतन बनाम मोहनलाल वगै0 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.03.2016 को अपीलीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 02.05.2017 से अपास्त किया जा चुका है। अतः इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.03.2016 की पालना में की गई समस्त कार्यवाहियां यथा खाता विभाजन, नक्शे में तरमीम आदि स्वतः की प्रभाव शून्य हो चुकी है और ऐसी स्थिति में धारा 144 सीपीसी के प्रावधान लागू होगें।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सहपठित धारा 151 सीपीसी. न्यायहित में स्वीकार योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 144 सहपठित धारा 151 सीपीसी. न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार अटरू को आदेशित किया जाता है कि ग्राम एवं माल अर्डान्द तहसील अटरू जिला बारां की विवादित आराजी वक्त निर्णय (जमाबन्दी संवत 2067—70) खाता संख्या 253 का ख0नं0 70 की 0.86 है0, ख0नं0 73/1188 की 0.01 है0, ख0नं0 397 की 0.19 है0, ख0नं0 398 की 0.15 है0, ख0नं0 399 की 0.05 है0, ख0नं0 402 की 0.21 है0, ख0नं0 422 की 0.10 है0, ख0नं0 818 की 1.02 है0, ख0नं0 820 की 1.00 है0, ख0नं0 823 की 0.58 है0 व ख0नं0 827 की 0.11 है0 कुल किता 11 कुल रकबा 4.37 है0 का रकबा 0.41 है0 पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अटरू के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.03.2016 की पालना में की गई समस्त कार्यवाहीयों को खारिज कर पुनः राजस्व रिकार्ड की निर्णय पूर्व की मूल स्थिति बहाल की जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.12.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां